

पांडे ने यहां संवाददाता सम्मेलन अर्थात् व्यवस्था में खपत बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से किए गए उपायों के प्रभाव के बारे में जानकारी देने के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा कि इन उपायों से सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर को छह साल के निचले स्तर से उबारने में मदद मिलेगी। पांडे ने बताया कि कर रिफंड के मामले में 17 प्रतिशत बढ़कर 2.16 करोड़ पर पहुंच गए हैं। धन के हिसाब से कर रिफंड 27.2 प्रतिशत अधिक रहा है। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में अब तक एकीकृत जीएसटी रिफंड के रूप में 38,988 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 56,057 करोड़ रुपये था।

नहीं मनेगा... अपने हाथों में लिया गया।

पॉलीटॉक...

सकते हैं जो सरकार के लिए संपदा भी हो सकती है और पंचायत उनका रख-रखाव कर सरकारी कर्मचारियों को किराये पर दे सकती है।

इसी तरह बात जल-आत्म निर्भरता की हो रही थी, तो मनरेगा उसके लिए ताला खोलने सरीखी साबित हो सकती है। वस्तुतः हर गांव के साथ गोचर भूमि जुड़ी होती है, इस गोचर भूमि में ही ग्राम पंचायत जल-संरक्षण का काम बड़े पैमाने पर कर गांव को जल-संसाधन के लिए आत्म निर्भर बना सकती है। गांवों के कुओं का जल स्तर भी ठीक हो सकता है। हाल ही दूध विधानसभा क्षेत्र के लापड़िया गांव की विजिट की, तो वहां लक्ष्मणसिंह जी द्वारा किये गये जल-संरक्षण के कार्यों को देखने का मौका मिला। बिना सरकारी सहायता के उन्होंने सरप्राइजिंग रिजल्ट दिये हैं जो कि पूरे राजस्थान के मैदानी इलाकों के लिए नजीर साबित हो सकते हैं। जिस इलाके को काठेड़ा कहा जाता है, उस इलाके के साथ से अधिक गांवों को जल-संसाधन के लिहाज से आत्म-निर्भर बनाने का काम उन्होंने किया और एक प्रेरणादायी स्थिति विकसित की। इन गांवों में जल-संरक्षण कैसे हुआ, गांव जल आत्म-निर्भरता की ओर कैसे बढ़े, इसका

प्रशिक्षण पंचायत चुनाव उपरांत चुने हुए सरपंचों, प्रधानों, ग्राम पंचायत सचिवों, पंचायत समिति विकास अधिकारियों आदि को करना चाहिये और उसके अनुरूप अपने गांव में कार्य-योजना बना कर काम करना चाहिये।

इसके अलावा मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत या ग्राम सेवा सहकारी समितियां ग्राम गोदाम बना सकती हैं, जहां गांव में उत्पादित कृषि जिनसे गांव में उत्पादित अनाज गांव में ही रहेगा और उपभोक्ता केंद्रों तक सीधे गांव से ही वितरित हो सकेगा। इससे भारतीय खाद्य निगम पर अनावश्यक खर्च हो रही अरबों रुपये की राशि भी बच सकती है। क्योंकि वहां गेहूं सरीखी जिंस की खरीद-गोदाम तक दुलाई, भंडारण, हिप्पी लगाना, निकलाई, वापसी के लिए लदान आदि व्यवस्था की लागत ही अब 400 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक आने लगी है, जबकि गांव के गोदाम में तो 50 रुपये की लागत भी नहीं आये। इस तरह सरकार अपना धन भी बचा सकती है और ग्रामीण गोदाम योजना के तहत किसानों को गांव स्तर पर भंडारण की सुविधा भी दे सकती है। ग्राम सेवा सहकारी समितियां इन अनाज का समर्थन मूल्य पर खरीद कर भंडारण भी कर सकती हैं। बहुत सारे विकल्प अब भी ग्राम-स्वराज में समाहित हैं, लेकिन इन पर कोई काम करे तब की बात है।

पहुंच के मामले

तः राजीव कुमार

कुमार ने बृहस्पतिवार को कहा। नीतियों पर फिर से विचार किए पहुंचे और उन्हें सस्ता कर्ज के मामले में उनके पोषण और ल उद्यमी बनने के लिये उनके में कहा, "मुझे लगता है कि जरूरत है... छोटे, मझोले और संबंधी बाधाएं हैं।" की ऊंची लागत पर कर्ज लेते हैं स क्षेत्र में क्या किया जा सकता



कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

क्रमांक नियमन/N-25352/2019/10803

दिनांक 12-12-2019

-आम सूचना-

एतद्वारा श्री रविन्द्र कुमार पारीक पुत्र श्री मोहन लाल पारीक द्वारा राजस्व ग्राम मलाणा की आराजी सं. 387 से 389, 401, 402 गैर योजना में भूखण्ड संख्या 3 साईज 24 x 49 = 130.66 वर्गज का नियमन उपखण्ड अधिकारी (भू रू.) भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 31-07-1995 को कराया गया था।

भूखण्डद्वारा भूखण्ड संख्या 3 साईज 24 x 49 = 130.66 वर्गज श्री भैरु लाल तेली पुत्र श्री छैतरमल तेली को विक्रय कर दिया गया है।

श्री भैरु लाल तेली पुत्र श्री छैतरमल तेली के द्वारा उक्त भूखण्ड नामान्तरण हेतु न्यास में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मलाणा के आराजी सं. 387 से 389, 401, 402 के भूखण्ड सं. 3 के नामान्तरण बाबत यदि किसी भी व्यक्ति या सम्बन्धित को कोई उजर/ एतराज/आपत्ति हो तो विज्ञापन दिनांक से सात दिवस में अपनी आपत्ति मय सबूत/ दस्तावेज प्रस्तुत करे। बाद गुजरने मियाद यदि किसी व्यक्ति या सम्बन्धित द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो स्वीकार नहीं की जावेगी तथा भूखण्ड का नामान्तरण आवेदक के पक्ष में निर्विवाद मानते हुए कर दिया जावेगा तथा न्यास बाद में होने वाले किसी भी विवाद के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

प्रभारी अधिकारी (नियमन) - नगर विकास न्यास,



कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

क्रमांक / भू/शा0 द्वितीय/2019/1422

दिनांक 09-12-2019

-सार्वजनिक सूचना -

एतद्वारा श्री देवी पिता कजोड़, गणेश पिता कजोड़ मु० नन्दु बेवा कजोड़ वगैरह को न्यास की रमेश चन्द्र व्यास नगर योजना में भूखण्ड संख्या 3-ए-26 साईज 20 x 49 = 108.88 वर्गज नीलामी द्वारा / आवंटन लॉटरी द्वारा/अवाप्त भूमि के बदले/नियमन द्वारा आवंटन/विक्रय किया गया है।

आवंटी द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 3-ए-26 साईज 20 x 49 = 108.88 वर्गज जरिये मुआम श्री रामेश्याम पुत्र श्री बशीलाल जागेटिया द्वारा श्रीमती गटुबाई पत्नी श्री धूलचन्द शाह को पंजीकृत विक्रय किया गया। श्रीमती गटुबाई की मृत्यु हो जाने से श्री कैलाश चन्द्र पुत्र धूलचन्द शाह के नाम नामान्तरण किया गया। श्री कैलाश चन्द्र पुत्र धूलचन्द शाह द्वारा जरिये मुआम श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री उगम सिंह बन्धु द्वारा श्रीमती बिन्दु देवी पत्नी श्री महेन्द्र सुराणा को पंजीकृत विक्रय किया गया।

श्रीमती बिन्दु देवी पत्नी श्री महेन्द्र सुराणा के द्वारा उक्त भूखण्ड को अपने नाम नामान्तरण करवाने बाबत आवेदन पत्र कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में अपनी उजरदारी मय सबूत / दस्तावेज के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद मियाद गुजरने आगामी कार्यवाही संपादित की जावेगी।

श्रीमती बिन्दु देवी पत्नी श्री महेन्द्र सुराणा निवासी-- 3-ए-26, आर.सी.न्यास कोलोनी, भीलवाड़ा प्रभारी अधिकारी - नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार सूचकांक

Name	Last Trade	Change (%)
SGX NIFTY	12,145.50	1.01
NIKKEI 225	24,023.10	2.55
STRAITS TIMES	3,214.05	0.61
HANG SENG	27,687.76	2.57
TAIWAN	11,927.73	0.77
WEIGHTED		
KOSPI	2,170.25	1.54
Nasdaq	-	-
S&P	-	-
DAX*	13376.20	+ 1.17
CAC 40*	5950.30	+ 1.12
FTSE 100*	7381.55	+ 1.49

(*यह आंकड़े शाम 06:00 बजे तक के हैं)



श्री कल्याण होल्डिंग्स लिमिटेड

CIN: L67120RJ1993PLC061489

पंजीकृत कार्यालय : बी-19, लाल बहादुर नगर, मालवीय नगर, जयपुर-302017 (राजस्थान), फोन व फैक्स: 0141-2554270, 0141-4034062

वेबसाइट: www.shrikalyan.com, ई-मेल: shrikalyan25@hotmail.com

30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवार्षिक वर्ष के लिए गैर अंकेषित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार (रु. लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त अर्द्धवार्षिक वर्ष	
		30.09.2019	30.06.2019	30.09.2019	30.09.2018
		गैरअंकेषित	गैरअंकेषित	गैरअंकेषित	गैरअंकेषित
1.	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	59.32	86.50	109.88	145.82
2.	अवधि का शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/ या असाधारण वस्तुओं से पहले)	(4.24)	7.21	(9.33)	2.97
3.	कर के पहले शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद)	(4.24)	7.21	(9.33)	2.97
4.	कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/ या असाधारण वस्तुओं के बाद)	(4.24)	7.21	(9.33)	2.97
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाभ/हानि (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) को शामिल करते हुए]	(5.43)	7.81	(9.33)	2.38
6.	समता अंश पूंजी	997.45	997.45	997.45	997.45
7.	रिजर्व (पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पूर्णमूल्यांकन रिजर्व के अतिरिक्त)	-	-	-	-
8.	आय प्रति शेयर (रु. 1.0/- प्रति का)	(0.05)	0.08	(0.09)	0.02
	मूल	(0.05)	0.08	(0.09)	0.02
	तरल	(0.05)	0.08	(0.09)	0.02

टिप्पणी : (अ) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता एवं हिस्सेदार आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवार्षिक वर्ष के गैरअंकेषित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्राश्य का सार है। 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवार्षिक वर्ष के गैरअंकेषित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्राश्य बास्केट स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.shrikalyan.com पर उपलब्ध है। (ब) 30 सितम्बर 2019 को समाप्त हुए तिमाही एवं अर्द्धवार्षिक वर्ष के उपर्युक्त गैरअंकेषित वित्तीय परिणाम की समीक्षा एवं रिवाज़िरी लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई एवं 13 दिसम्बर, 2019 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

वास्तव श्री कल्याण होल्डिंग्स लिमिटेड हस्ता./- राजेन्द्र कुमार जैन

दिनांक : 13 दिसम्बर, 2019 स्थान : जयपुर

अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक (DIN:00168151)